मूल्य दर (**Price Bid**)

भा0कृ0अनु0प0–सरसों अनुसंधान निदेशालय, सेवर, भरतपुर (राज0)

क्रमांकः4–119/एसपी/सुरक्षा/16/ दिनांकः 08–12–2016

निविदा का ब्यौरा

निविदा प्राप्त करने की तिथि व समय	03–01–2017 – 1.00बजे दोपहर तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	03–01–2017 – 3.00बजे अपरान्ह
निविदा की अवधि	निविदा 90 दिन तक वैध रहनी चाहिए ।

कार्य का विवरण	दर प्रतिमाह (जिसमें सुरक्षा गार्डो को "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948" के अन्तर्गत निर्धारित दरों अनुसार दिये जाने वाली मजदूरी, पी.एफ, ई.एस.आई अशंदान, व्यवसाय कर, आयकर, आयकर पर सरचार्ज तथा और कोई अन्य सांविधिक प्रावधान तथा सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य तमाम जिम्मेदारियॉ सम्मिलित हो)
सरसों अनुसंधान निदेशालय के लगभग 40 हेक्टेअर प्रक्षेत्र के क्षेत्रफल में स्थित उपलब्ध समस्त सरकारी सम्पत्ति के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सहित भली–भांति सुरक्षा प्रदान करते हुए इन्हें सम्भावित नुकसानों से हर सम्भव तरीको से बचाने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिये (राउन्ड दी क्लांक) "वार्षिक अनुबन्ध आधार पर जाब ओन–कान्टैक्ट" संविदात्मक प्रतिमाह दर पर सम्पर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने हेतु कार्य–अनुबन्ध । सुरक्षा एजेन्सी को निम्नलिखित डयूटी पॉइन्टों पर राअन्ड दी क्लॉक के हिसाव से सेवा सुरक्षा देनी होगी। **निदेशालय के मुख्य द्वार पर, आवासीय परिसर/अतिथिगृह पर, मुख्य प्रशासनिक कम प्रयोगशाला भवन व फॉर्म कार्यालय पर, तथा एक गनमैन (रात्रि के लिए)**	रू ....प्रतिमाह

नोटः–

1. ठेकेदार के द्वारा सुरक्षा कार्यो के लिये प्रतिमाह के लिये मॉगी गई संविदात्मक प्रतिमाह दर के अतिरिक्त कोई भी अन्य भुगतान पी.एफ., ई.एस.आई. अशंदान,व्यवसाय कर,आयकर,आयकर पर सरचार्ज तथा अन्य कोई कर का भुगतान निदेशालय द्वारा ठेकेदार को नही किया जावेगा बल्कि उपरोक्त सभी कर ठेकेदार के बिल से प्रतिमाह इस निदेशालय द्वारा वसूल किये जावेगें ।
2. ठेकेदार एंव ऐजेन्सियां जिनका प्रदत **सुरक्षा गार्डो की आपूर्ति हेतु वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 45.00 लाख प्रति वर्ष हो की, छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।**
3. **निविदाकर्ता दो बोली प्रणाली अर्थात तकनीकी बिड एवं प्राईज बिड को अलग–अलग लिफाफे में डाल कर बन्द करें तथा दोनों लिफाफों को एक लिफाफे में डालकर बन्द करें।**
4. टेन्डर फार्म की टेन्डर फीस रू0 1000/– जो कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैकर्स चैक (आई.सी.ए.आर.यूनिट–डी.आर.एम.आर., भरतपुर) के नाम देय होगी ।

नियम व शर्ते :–

1- सुरक्षा एजेन्सी राज्य–केन्द्र सरकार की सक्षम एजेन्सी, श्रम विभाग, रजिस्ट्रार सहकारी समिति, सैनिक कल्याण बोर्ड से सुरक्षा कार्य करने हेतु पंजीकृत होनी चाहिऐ । जिन्हें कम से कम **तीन वर्षो** का सरकारी / अर्धसरकारी संस्थानों / विभागों में कार्य करने का अनुभव हों ।

2- सुरक्षा एजेन्सी फर्मो को पूर्व में राज्य–केन्द्र सरकार के कार्यालयों/संस्थानों मे किये गये **पिछले 3 वर्ष की अनुबन्धों की प्रति** लगाना आवश्यक है ।

3- सुरक्षा एजेन्सी फर्म निदेशालय के लगभग 40 हेक्टेअर प्रक्षेत्र में स्थित फार्म एवं निविदा प्रपत्र में बताये गये कार्यो के विवरणों के अनुसार सुरक्षा व देखभाल का कार्य करेगी एवं जरूरत पडने पर सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार भी कार्य करेगी ।

4- निविदा में दिये गये कार्यो का विवरण मात्र गाईडलाईन्स है । सक्षम अधिकारी द्वारा इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिसे सुरक्षा एजेन्सी को मान्य करना होगा ।

5- सुरक्षा ऐजेन्सीं को प्रतिमाह की दर पर कार्य संविदा (जांब ओन कान्ट्रेक्ट) वार्षिक अनुबन्ध आधार पर सुरक्षा सेवा प्रदान करनी होगी, जिसमें पी.एफ., ई. एस.आई. अशंदान, बीमा, सर्विस चार्ज आयकर, आयकर पर सरचार्ज तथा और कोई अन्य सवैधानिक प्रावधान होगें वे भी सम्मिलित होगे तथा सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पूरी की जाने वाली सभी जिम्मेदारियॉं सम्मिलित होगी निदेशालय द्वारा सुरक्षा एजेन्सी को प्रतिमाह की दर पर किये जाने वाले भुगतान के अलावा कोई अन्य अंशदान/कर का भुगतान निदेशालय से नहीं किया जावेगा ।

6- सुरक्षा एजेन्सी को सक्षम अधिकारी द्वारा श्रमिक विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 की धारा 12(1) के अन्तर्गत लगाये जाने वाले सभी सुरक्षा गार्डो के लिये आवश्यक अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत करना होगा । सुरक्षा एजेन्सी द्वारा किसी भी कार्य दिवस में अनुज्ञा पत्र में निहित संख्या से अधिक संख्या में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नही करवायेगा ।

7- निविदा के साथ निविदाकर्ता सुरक्षा एजेन्सी को वर्ष 2013–14 व 2014–15 आयकर किलीयरेन्स प्रमाण–पत्र लगाना आवश्यक है।

8- प) उपरोक्त कार्य विवरण के अनुसार सुरक्षा एजेन्सी को सामान्यतया निम्नलिखित डयूटी पॉइन्टों पर राअन्ड दी क्लॉक के हिसाव से सेवा सुरक्षा देनी होगी तथा निदेशालय की तमाम सम्पत्ति एवं आवासीय परिसर मे निवासरत कर्मचारियो/अधिकारियों की निजी सम्पत्ति की सुरक्षा करनी होगी :–

पप) निदेशालय के मुख्य द्वार पर
पपपद्ध आवासीय परिसर/अतिथिगृह पर
पअद्ध मुख्य प्रशासनिक कम प्रयोगशाला भवन पर
अद्ध फॉर्म कार्यालय पर
अपद्ध एक गनमैन (रात्रि के लिए)

9- उपरोक्त चार पांइन्टो पर राउन्ड दी क्लांक के हिसाब से तथा एक गनमैन (रात्रि पाली के लिए) लगाने होगें। उपरोक्त के अलावा निदेशक या सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य करना होगा।

10- सुरक्षा एजेन्सी अपने निजी स्टाफ/कर्मचारी की नियुक्ति भी सुरक्षा कार्य हेतु कर सकती है परन्तु इससे पहले इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लिखित रूप में लेनी होगी ।

11- सुरक्षा एजेन्सी को अपने सभी सुरक्षा कर्मियो को देय पारिश्रमिक भत्ते राज0 सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय 1948) के अनुसार जो भी अधिक होगा का भुगतान करना आवश्यक होगा ।

12- सुरक्षा कर्मी फर्म को अच्छा चाल चलन रखने वाले, स्वस्थ परिश्रमी एवं अनुभवी व व्यस्क भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराने होगे जिनकी आयु लगभग 45 वर्ष की हो उनको वरीयता दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नही पाया गया तो बिना कोई कारण बताये सम्बन्धित सुरक्षा कर्मी को निदेशालय के कार्य से हटाने का अधिकार निदेशालय के पास सुरक्षित रहंगा एंव इस तरह हटाये गये सरुक्षा कर्मी के एवज में अन्य सुरक्षा कर्मी सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा तत्काल उपलब्ध कराये जावेगें।

13- सरुक्षा एजेन्सी को सुरक्षा कर्मियों के लिये उचित वर्दी, पानी, आराम की जगह, शौचालय, कैन्टीन आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था स्वंय करेगा । यदि इसमें से कोई सुविधा निदेशालय द्वारा दी जाती है तो उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा इस निदेशालय को करना होगा अन्यथा देय राशि, यदि कोई हो तो ठेकेदार के बिल से सीधे काटे जाने का अधिकार निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा ।

14- सरुक्षा एजेन्सी फर्म को अनुबन्ध देने से पूर्व 1,25,000/– रूपये (एक लाख रूपये मात्र) या अनुबन्ध की लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक होगा जमानत राशि के रूप में जमा कराने होगें । जमानत राशि ठेके के संतोषजनक रूप से समाप्त होने के बाद वापस कर दी जायेगी ।

15- सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अपने सभी सुरक्षा कर्मियो को वर्दियॉं, लाठी/डन्डा, बन्दूक, टोर्च, फॉर्म के गार्ड के लिए ड्रेगन लाइट तथा लेखन सामग्री की वस्तुऐ जैसे कि रजिस्टर, पैमाने, पैड़, पैन्सिल, स्टेप्लर आदि प्रदान करने होगे ।

16- सुरक्षा ऐजेन्सी पिछले माह मे प्रदान की गई सेवाओं के लिये प्रत्येक माह के पूरा होने के बाद आगामी महीने के प्रथम सप्ताह मे अपना प्रिन्टेड बिजक, निदेशक स0अनु0 निदेशालय को प्रस्तुत करेगा तथा निदेशालय के प्रभारी सुरक्षा/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवाओ से संबधित पुष्टि की

टिप्पणी/रसीद लेने के बाद बिजक का भुगतान 30 दिन की अवधी में किया जावेगा। यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संतुष्टि की टिप्पणी नहीं की जाती है तब सक्षम अधिकारी के स्वविवेक से भुगतान मे से समुचित कटौती की जावेगी, जो सुरक्षा एजेन्सीं पर बाध्यकारी होगा ।

17- सुरक्षा एजेन्सी फर्म को प्रत्येक माह के बिजको द्वारा दी जाने वाली राशि मे से सेवा कर का भुगतान भी उन्हें ही करना होगा, अतः सुरक्षा अनुबंध देने से पूर्व फर्म को अपना पंजीकरण भी आयुक्त, सेवा कर के पास करना होगा एवंम सुरक्षा एजेन्सी फर्म के **प्रत्येक बिल से नियमानुसार आयकर, आयकर पर सरचार्ज व सर्विस टैक्स आदि निर्धारित दरों अनुसार काटा जायेगा।** इसके लिये ठेकेदार को अपनी आयकर खाता संख्या सूचित करनी होगी । इसके अतिरिक्त यदि किसी तरह का **कोई अन्य टैक्स/कर राज्य** सरकार/केन्द्र **सरकार द्वारा समय-समय पर लगाया जाता है, तो वह भी ठेकेदार को अपने बिल से आवश्यक रूप से देनी होगी** । सर्विस टैक्स 15 प्रतिशत ठेकेदार द्वारा सबंधित विभाग मे जमा कराया जाएगा।

18- सरुक्षा एजेन्सी फर्म को सुरक्षा कर्मियों से सम्बन्धित रेगुलेशन एण्ड एबोलीशन एक्ट 1970 (केन्द्रीय) का पालन करना होगा एवं श्रमिक सम्बन्धी विवाद होने की स्थिति में उनके उचित निपटान हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा, तथा न्यायालय द्वारा यदि कोई मुआवजा तय किया जाता है, उस मुकदमें की पैरवी एवं माननीय न्यायालय द्वारा तय किये गये मुआवजे का भुगतान भी सम्बन्धित ठेकेदार को ही करना होगा ।

19- सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा लगाये जाने वाले सभी सुरक्षा गार्ड /स्टाफ सदस्य , सुरक्षा एजेन्सी के कर्मचारी माने जावेगे तथा केवल सुरक्षा एजेन्सी ही कार्य पर लगाये गये समस्त कर्मचारीयो के पारिश्रमिक, वेतन और उनके लाभो तथा सेवा शर्तो के लिये जिम्मेदार होगी तथा सुरक्षा ऐजेन्सी के कर्मचारियों की किसी भी दावे के विरूद्व यह निदेशालय किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये बाध्य नही होगा।

20- सुरक्षा ऐजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा एजेन्सी की सेवा संविदा की अवधि के दौरान निदेशालय मे कोई हानि या चोरी नही हो । सुरक्षा एजेन्सी के सुरक्षा स्टाफ / कर्मचारियों की लापरवाही के कारण, सुरक्षा एजेन्सी की सेवा संविदा अवधि के दौरान निदेशालय मे यदि चोरी होती है या हानि होती है तो सुरक्षा एजेन्सी ऐसी किसी भी हानि आदि के लिये जिम्मेदार ठहराई जाएगी, यदि उचित रूप से गठित जॉच (जिसमे निदेशालय के दो सदस्य और सुरक्षा ऐजेन्सी का एक सदस्य सम्मिलित होगें) में यह निष्कर्ष निकलता है कि हानि सुरक्षा एजेन्सी के सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के कारण हुई है तब उसकी क्षतिपूर्ति सुरक्षा एजेन्सी को करनी होगी।

21- सुरक्षा एजेन्सी 6.00 **बजे प्रातः से** 2.00 **बजे** अपराह, 2.00 **बजे अपराह से** 10.00 बजे रात्रि, 10.00 **बजे रात्रि से प्रातः** 6.00 **बजे** तक 24 घंटे की तीन पारियो मे पूर्व के पैरागग्रफ मे उल्लेखित दरों पर सुरक्षा कर्मियों की सेवाए प्रदान करेगी । **सुरक्षा एजेन्सी का सुरक्षा पर्यवेक्षक भी उपरोक्त समय तक की पारियों मे निरंतर सुरक्षा कार्य के पर्यवेक्षण कार्य के लिये उपस्थित रहेगें ।**

22- सुरक्षा एजेन्सी फर्म को सभी वेतन संबंधी तथा अन्य सेवा शर्तो एवं सभी श्रमिक विनिमय उन्मूलन अधिनियम 1970, वर्कमेन कम्पनशेसन एक्ट, ई.पी.एफ, तथा एम.पी.एफ., औधोगिक विवाद एवं अधिनियम आदि कानूनी बंधनों का पालन आवश्यक रूप से करना होगा ।

23- सुरक्षा एजेन्सी फर्म को उनके द्वारा नियुक्त सभी सुरक्षा कर्मियों का सामान्य कानूनों के तहत वर्कमेन कम्पनशेसन एक्ट के तहत बीमा करवायेगी, ताकि उसके अधीनस्थ कार्यरत ठेका श्रमिकों (कर्मचारिया) को किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति का लाभ भी मिल सके ।

24- किसी भी प्रकार के व्यवधान को आपसी सहमति से सुलझाया जावेगा, फिर भी अगर कोई मतभेद रहता है, या उपरोक्त शर्तो में संदेह होने पर आर्बिटेशन एवं कन्सीलेशन अधिनियम 1996 के अर्न्तगत निदेशालय द्वारा मनोनीत मध्यस्थ के निर्णय को अन्तिम माना जावेगा एवं यह निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा ।

25- सुरक्षा एजेन्सी फर्म को अनुबन्ध करने से **पूर्व अनुबन्ध की सभी नियम एवं शर्तो को राज0 में प्रचलित दर के अनुसार उपयुक्त मुल्य के नोन-ज्यूडीशियल स्टेम्प पेपर पर टाईप करवाकर हस्ताक्षर करते हुए एवं साक्षी के भी हस्ताक्षर करवाते हुऐ इस निदेशालय को शीघ्र प्रस्तुत करना होगा ।**

26- अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी । जिसे आपसी सहमति के आधार पर घटाया या बढाया जा सकता है। अगर सुरक्षा एजेन्सी की सेवायें किसी भी समय संतोषजनक नहीं पायी गयी तो निदेशालय को यह अधिकार होगा कि सुरक्षा एजेन्सी की सेवायें एक सप्ताह के नोटिस पर बिना कोई कारण सूचित किये हुए ठेका को समाप्त किया जा सकता है तथा यह भी अधिकार होगा कि ठेका किसी अन्य एजेन्सी को दिया जा सकता है जिसका पूरा खर्च वर्तमान एजेन्सी को वहन करना होगा तथा खर्च की राशि ठेकेदार की जमानत राशि, लम्बित बिल या अलग से प्राप्त बिल से वसूल की जायेगी। इस सम्बन्ध में इस निदेशालय के दिन प्रतिदिन के कार्यो के सफल संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर निदेशक महोदय को यह भी अधिकार होगा कि वे अवधि से पूर्व भी इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें तथा जमानत राशि भी जब्त करले ।

27- पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा को निंधारित **धरोहर राशि रू0 30,000/–** जो कि भारतीय स्टेट बैंक पर जारी डिमाण्ड ड्राफट या बैंकर्स चैक (आई.सी.ए.आर.यूनिट – डी0आर0एम0आर0, भरतपुर के नाम से देय हो) सहित **दिंनाक 03–01–2017 को दोपहर 01.00 बजे** तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीनस्थ क्रय अनुभाग में सम्बन्धित क्रय सहायक के पास जमा कराया जाना आवश्यक होगा । दोपहर 01.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार ही किया जायेगा।

28- निविदाओं की तकनीकी बिड उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे खोली जायेगी ।

29- डाक में होने वाले किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा देरी से प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नही किया जावेगा और न ही उसके लिये यह निदेशालय जिम्मेदार होगा।

30- सशर्त व तार फैक्स से भेजी गई निविदाओ को भी स्वीकार नही किया जावेगा । इसके अतिरिक्त अधूरी भरी हुई अस्पष्ट दर वाली निविदाऐं, कटी–फटी दर होने वाली निविदाओं को भी निरस्त करने का अधिकार इस निदेशालय के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित रहेगा एवं उसके लिये किसी भी निविदादाता के प्रति निदेशालय के निदेशक महोदय की कोई जवाबदेही भी नही होगी ।

31- सुरक्षा एजेन्सी की लापरवाही से उसके द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मी को यदि कोई क्षति/हानि होगी तो उन सभी दावों, हानि की क्षतिपूर्ति सुरक्षा एजेन्सी को ही करनी होगी ।

32- सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मियों का इस निदेशालय से कोई नियोक्ता व कर्मचारी का रिश्ता नही होगा ।

33- सुरक्षा कार्य इस निदेशालय द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी की देखरेख में करना होगा ।

34- निदेशालय के बाहर कोई भी वाहन, वस्तु, बिना गेट पास के नही जायेगी । इस स्थिति मे सुरक्षा गार्ड को सम्बन्धित व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी से गेट पास प्राप्त कर ही बाहर जाने होगा ।

35- निदेशक स0 अनु0 निदेशालय, भरतपुर को यह भी अधिकार होगा कि वे किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रद्व कर सकते है तथा! उसके लिये किसी भी निविदादाता के प्रति निदेशक की कोई जवाबदेही भी नही होगी ।

36- निदेशक स0 अनु0 निदेशालय, भरतपुर को यह भी अधिकार होगा कि वे न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नही होगे तथा उसके लिये किसी भी निविदादाता के प्रति निदेशालय के निदेशक की किसी तरह की कोई जवाबदेही भी नही होगी ।

37- ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ. की छूट के लिये आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ।

38- सम्बन्धित सुरक्षा ऐजेन्सी आर्थिक रूप से सुदृढ होनी चाहिए ।

39- उपरोक्त शर्तो के बावजूद निम्नलिखित आकस्मिक स्थितियों में निदेशालय सम्बन्धित समझौतें को समाप्त भी कर सकता है ।

40- क) यदि सुरक्षा एजेन्सी अपना कार्य निदेशालय की संतुष्टि के अनुसार नहीं कर रही है, जिसका निर्णय केवल निदेशालय द्वारा ही किया जायेगा ।

ख) यदि सुरक्षा एजेन्सी निदेशालय के परिसर मे पदस्थ सुरक्षा कर्मियो के प्रति वैधानिक दायित्वो का पूर्णतया पालन नहीं करती है ।

ग) यदि किसी भी कारण से सुरक्षा एजेन्सी लगातार 10 दिन अथवा उससे ज्यादा दिन तक इस समझौते के अंतगर्त कार्य करने में असमर्थ हो ।

घ) यदि सुरक्षा एजेन्सी इस समझौते के किसी अनुच्छेद का उल्लघंन कर रही हो ।

ड) यदि सुरक्षा एजेन्सी की ओर से काम की उपेक्षा या दुव्र्यवहार के फलस्वरूप निदेशालय द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों, ग्राहकों/आगन्तुको को किसी तरह के नुकसान की भरपाई करने की जरूरत हो ।

च) यदि सुरक्षा एजेन्सी की समाप्ति के बाद उन्हें दिए गए उपकरण आदि वापस करने मे असमर्थ हो ।

छ) सुरक्षा एजेन्सी को रोज़गार एवं कल्याण अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत निजी सुरक्षा गार्ड एजेन्सी के रूप मे कार्य करने हेतु यदि भारत सरकार से स्वीकृति मिल जाती है तो वह निदेशालय को तुरन्त सूचित करेगी । सुरक्षा एजेन्सी संविदा श्रमिक (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करेगी तथा किसी अन्य के अन्तर्गत उन्हें सम्बंधित प्राधिकरण से पंजीकृत भी करवाएगी । अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा एजेन्सी को संविदा श्रमिक (आर एण्ड आर) अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत लाइसेस लेना होगा । इन अनुबंधो का अनुपालन न होने पर संविदा समाप्त हो जाएगी।

ज) निदेशालय को सुरक्षा निधि बोर्ड के अन्तर्गत कार्यालय संबंधी जबावदेही के लिये जिम्मेदार नहीं माना जा सकेगा । सुरक्षा एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह सुरक्षा गार्ड बोर्ड के अधिकारियो को सन्तुष्ट रखे।

झ) किसी भी परिस्थिति में निदेशालय को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा अथवा जो पारस्पारिक सहमति हुई थी उसके अलावा अतिरिक्त आर्थिक मामलों मे सम्बद्व न किया जाए ।

छ) दण्ड प्रावधान

41- सुरक्षा पर्यवेक्षक तथा सुरक्षा गार्डों के पास ड्यूटी पर निर्धारित यूनिफार्म, टोपी, लाठी, टौर्चलाइट, नामबैज, जूते, गन और परिचय पत्र आदि होने चाहिए ।

42- सामान्तया कोई भी सुरक्षा पयवेक्षक / सुरक्षा गार्ड लगातार दो शिफ्ट में दोहरी ड्यूटी नहीं करेगे । यदि कोई सुरक्षाक्र्मी ड्यूटी से बिना सूचना अनुपस्थित पाया जाएगा तो बिल से मजदूरी की दुगुनी धनराशि वसूली जाएगी ।

43- सुरक्षा पर्यवेक्षक और सुरक्षा गार्डो की ड्यूटी सूची प्रत्येक दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

44- सुरक्षा का कार्यभार लेने से पूर्व सुरक्षा पर्यवेक्षक और सुरक्षा गार्डो के छायाचित्र सहित उनकी एक सूची कार्यालय रिकार्ड के लिए उपलब्ध करायी जावे जिसमें उनके स्थाई पते भी हो ।

उपरोक्त वर्णित नियमों एवं शर्तो के अलावा यदि अन्य कोई नियम या शर्त आवश्यक समझी गयी तो उन्हें भी समय समय पर सूचित करते हुए लागू कर दिया जावेगा जो सम्बन्धित ठेकेदार पर बन्धनकारी होगी ।

प्रशासनिक अधिकारी
कृते निदेशक
सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर, भरतपुर (राज0)

ठेके पर सुरक्षा व्यवस्था की नियम एवं शर्ते

1. सुरक्षा गार्ड स्वस्थ, वांछित शारीरिक गठन और पर्याप्त अनुभव वाले होने चाहिएं तथा इनका स्थान समय–समय पर बदलते रहना चाहिए ।
2. सुरक्षा गार्ड हिन्दी मे तथा यदि संभव हो तो अंग्रेजी भाषा मे बातचीत करने मे सक्षम होना चाहिए ।
3. गार्ड को प्रतिदिन एक पारी (शिफ्ट) की ड्यूटी करनी होगी, सामान्यतया दो पारियो में (डबल शिफ्ट) ड्यूटी करते की अनुमति नहीं होगी ।
4. गार्ड स0 अ0 निदेशालय के कर्मचारियो के साथ परस्पर सामाजिक संबंध विकसित नहीं करेंगें ।
5. गार्डो को वर्दी ,सीटी, टार्च, लाठी आदि सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रदान की जाएगी ।
6. सुरक्षा गार्ड द्वारा ड्यूटी के समय स्वच्छ वर्दी पहननी होगी तथा पहचान–पत्र साथ रखना होगा ।
7. सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी का स्थान तब तक नहीं छोड़गें जब तक अगली पारी (शिफ्ट) की ड्यूटी के लिए उनका एवजी (रिलीवर) कार्य ग्रहण नहीं करता ।
8. निदेशालय के मुख्य द्वार और अन्य स्थानों पर रखें गए समस्त रजिस्टरों का रख–रखाव सुरक्षा पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) द्वारा किया जाएगा ।
9. वे सम्पूर्ण कार्यालय के सभी कमरों की शाम 5.30 बजे के बाद जांच करेंगें तथा यह सुनिश्चित करेंगे की समस्त भवन को उचित रूप से ताला बन्द कर दिया गया है ।
10. रात 10 बजें से सुबह 6 बजे तक रोटशन से परिसर मे सुरक्षा पर्यवेक्षक अवश्य ही गश्त ड्यूटी पर रहेंगे तथा गश्त ड्यूटी के दौरान ये पम्प हाउस सहित भवन के समस्त तालों की जाच करेंगें ।
11. ड्यूटी में इनके द्वारा कोई शिथिलता/ढीलापन या लापरवाही नहीं बरती जाए तथा इन्हें ड्यूटी पर सावधान और चौकन्ना

रहना होगा ।

12. ये समस्त कार्मिकों, श्रमिकों तथा आगन्तुकों आदि की गतिविधियों की निगरानी करेंगें ।

13. आगन्तुक रजिस्टर मे इन्दराज किए बगैर ये किसी भी बाहरी व्यक्ति को वाहन के साथ कार्यालय के परिसर के अन्दर नहीं आने देंगें ।

14. पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर ही समस्त वाहनों को पार्क कराया जावेगा । सुरक्षा गार्ड द्वारा परिसर मे अन्दर आने तथा बाहर जाने वाले वाहनों की जांच की जाएगी ।

15. निदेशालय के किसी भी कार्मिक को चाबी सौंपते समय तथा इन्हें ग्रहण करते समय उचित इन्द्रराज किए जावेंगे ।

16. सुरक्षा कार्मिक उपस्थिति का सख्ती से पालन करेंगें तथा जब कभी भी कोई सुरक्षा पर्यवेक्षक / सुरक्षा गार्ड अवकाश पर जाए तो इस कार्यालय को सूचित करते हुए वैकल्पिक इंतजाम किए जाए ।

17. सुरक्षा पर्यवेक्षक/सुरक्षा गार्डो की पदस्थापना में परिवर्तन होने पर तदाशय की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को तत्परतापूर्वक देनी होगी ।

18. रात्रि के समय पहचाने गए स्थानों की गस्त हर घंटे करनी होगी ।

19. सुरक्षा कार्मिको को ड्यूटी के समय सुरक्षा प्रणाली को कोड संबंधी औपचारिकता का अनुसरण करना होगा।

20. सुरक्षा कार्मिको को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर से बाहर ले जाई जाने वाली वस्तुओं का सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित गेट–पास जारी किया गया है । किसी भी प्रकार की शंका होने पर इन्हें शीघ्र सुरक्षा प्रभारी से सम्पर्क करना चाहिए ।

21. सुरक्षा गार्ड अग्निशमन के कार्यों के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए।

Tel: 05644-260154/ 260379(O)
Fax: 05644-260419/260565
E-mail: director.drmr@gmail.com
Website: http://www.drmr.res.in

भा0कृ0अनु0प0-सरसों अनुसंधान निदेशालय
ICAR-DIRECTORATE OF RAPESEED MUSTARD RESEARCH
सेवर, भरतपुर 321 003 (राज0)
SEWAR, BHARATPUR (RAJ.) 321 003

Proforma for Price Bid

Sr. No.	Minimum wages for security guard	Detailed amount
1.	Monthly payment for guard without armed	Rs.
2.	Weekly off	Rs.
	Total payment for security guard without armed	Rs.
3.	Monthly payment for guard with armed	Rs.
4.	Weekly off	Rs.
	Total payment for security guard with armed	Rs.
	G. Total	Rs.
	EPF 13.61%	Rs.
	Service Tax 12.36 % (Rs. /-)	Rs.
	G. Total for minimum payment paid to the firm	Rs.
	ESI	**Extra if applicable**
	Service charges of the agency	

Signature